



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125368

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 8932 वर्ष 2026

रमेश सिंह चौहान एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता

: आदर्श सिंह, अजीत सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श सिंह और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. पारित किए जा रहे आदेश की प्रकृति को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 5 को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।
3. यह याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत का दावा करते हुए दायर की गई है:

"i. प्रत्यर्थी संख्या 3 उप निदेशक शिक्षा (माध्यमिक), कानपुर क्षेत्र कानपुर (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) द्वारा पारित दिनांक 6.5.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना।



- ii. प्रत्यर्थी संख्या 3 शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक), कानपुर क्षेत्र कानपुर को आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि याचिकाकर्तागण की पेंशन के साथ-साथ अर्हक सेवा की गणना करते समय तदर्थ सेवाओं सहित उनकी पूरी सेवा की अवधि की गणना करते हुए, निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- iii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी नंबर 4 जिला स्कूल निरीक्षक, कानपुर को आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्तागण को निर्धारित अवधि के भीतर अर्हक सेवा की गणना करते समय तदर्थ सेवाओं सहित उनकी सेवा की पूरी अवधि की गणना करते हुए चयन ग्रेड और पदोन्नति वेतन ग्रेड को मंजूरी दे, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।
4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रकरण 2024 की रिट-ए संख्या 6791 में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसे विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 123/2025 में बरकरार रखा गया था, जिसके खिलाफ 2025 की एसएलपी संख्या 15682 दायर की गई थी, जिसे 16.06.2025 को खारिज कर दिया गया था और उसके खिलाफ दायर समीक्षा आवेदन भी 12.11.2025 को खारिज कर दिया गया था।
5. आगे प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त कुछ आदेशों को ध्यान में रखते हुए, समन्वय पीठ ने रिट-ए संख्या 19180/2024 का निस्तारण कर दिया है, जिसमें समान प्रकृति के आदेश को रद्द कर दिया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 3 को आगे निर्देश जारी किए गए हैं।
6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश में सौंपा गया कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य एसएलपी का लंबित होना है।
7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एसएलपी को पंजीकृत भी नहीं किया गया है, बल्कि यह केवल एक डायरी नंबर है जो 60307/2025 है और चूंकि अन्य समान प्रकरण का फैसला पहले ही समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के पक्ष में किया जा चुका है, इसलिए केवल एक एसएलपी का लंबित होना जो पंजीकृत भी नहीं किया गया है, कोई आधार नहीं है।
8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय 2024 की रिट-ए संख्या 19180 में पारित दिनांक 17.04.2026 के आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है, जो इस प्रकार है: -



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

(i) उत्प्रेषण (Certiorari) की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विपक्षी संख्या-2, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2024 (रिट याचिका का संलग्नक संख्या-1) को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश (Mandamus) की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विपक्षी संख्या-2, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वह इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर, अर्हकारी सेवा (qualifying service) की गणना करते समय, याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण से पूर्व प्रदान की गई तदर्थ सेवाओं को सम्मिलित करते हुए, बकाया राशि सहित याचिकाकर्ता की पेंशन स्वीकृत करे।

3. याचिकाकर्ता, आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2024 से इस आधार पर व्यथित है कि उसकी पेंशन का दावा यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया है कि उसने दस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की प्रारम्भिक नियुक्ति दिनांक 20.12.1995 को हुई थी तथा उसकी सेवाओं का नियमितीकरण दिनांक 22 मार्च, 2016 को किया गया। उसने दिनांक 31.03.2024 को अधिवर्षिता (Superannuation) की आयु प्राप्त की। तथापि, उसकी सेवाओं की गणना केवल दिनांक 22.03.2016 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए की गई है तथा उसके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदान की गई पूर्ववर्ती सेवाओं को पेंशन के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया गया है। परिणामस्वरूप, उसका पेंशन का दावा अस्वीकृत कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया कि तदर्थ नियुक्त कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पूर्ववर्ती सेवाओं पर विचार किए जाने के संबंध में विवादित प्रश्न का निस्तारण इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 12070 सन् 2020 (नन्द लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य) सहित रिट याचिकाओं के समूह में पूर्व में ही किया जा चुका है। नन्द लाल (उपर्युक्त) के प्रकरण में पारित निर्णय की पुष्टि विशेष



अपीलों के समूह में प्रमुख वाद, अर्थात् विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 172 सन् 2023 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य बनाम सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य) में की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान रिट याचिका में अन्तर्विष्ट विवाद उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बल दिया कि विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 123 सन् 2025 का निस्तारण आदेश दिनांक 01.05.2025 द्वारा, इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 172 सन् 2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2023 के अनुसार कर दिया गया है। आदेश दिनांक 01.05.2025 के विरुद्ध योजित विशेष अनुमति याचिका संख्या 15682 सन् 2025 भी आदेश दिनांक 16.06.2025 द्वारा खारिज कर दी गई है। विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15682 सन् 2025 में पारित आदेश पर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23590 सन् 2023 (संलग्नक-13) में भी निर्भर किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील (डी) संख्या 158 सन् 2021 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सत्य प्रकाश सिंह एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2021 पर भी निर्भर किया है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई तथा याचिकाकर्ता की सेवा अवधि की गणना करते हुए उसे पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए गए। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिकाकर्ता, तदर्थ नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई अपनी पूर्ववर्ती सेवाओं पर विचार किए जाने के उपरान्त पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. उत्तर प्रदेश राज्य-विपक्षियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विवाद नहीं किया तथा निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि वर्तमान रिट याचिका में अन्तर्विष्ट विवादित प्रश्न उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, जिन्हें विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका सफल होती है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। उप शिक्षा निदेशक (विपक्षी संख्या-2) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2024 एतद्वारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण विपक्षी संख्या-2 को प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा उसे निर्देशित किया जाता है कि वह विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 172 सन् 2023 में इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय के



आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा तदर्थ नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई पूर्ववर्ती सेवाओं की गणना करने के उपरान्त, याचिकाकर्ता की पेंशन के संबंध में नवीन आदेश पारित करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को रिट-ए संख्या 12070 सन् 2022 (नन्द लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 के अनुच्छेद संख्या 49 के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

9. उपरोक्त प्रस्तुतियों और समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका दिनांक 06.05.2026 के आदेश को रद्द करते हुए **निस्तारित** की जाती है और प्रत्यर्थी संख्या 3 को तदर्थ नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई पिछली सेवाओं की गणना करने के बाद याचिकाकर्तागण की पेंशन के संबंध में एक नया आदेश पारित करने का निर्देश जारी किया जाता है। विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 172/2023 के प्रकरण में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के आलोक में। आगे यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्तागण को रिट-ए संख्या 12070/2022 (नंद लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) में पारित 30.09.2022 के फैसले के पैराग्राफ संख्या 49 के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

10. प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अनुपालन किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

4 जून 2026

एकेशुक्ता/-